—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 35/2015

उनवान

हरजी पुत्र पीथा जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सायर पुत्र रतना
2. पांचू पुत्र रतना
3. झमरी पत्नी रतना
4. लाला पुत्र मादू
5. सुवा पुत्र छोटू
6. प्रभु पुत्र छोटू
7. बीरू पुत्र हीरा
8. झमकू पत्नी छोटू समस्त जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद
9. जमनी पत्नी लाडू
10. मोहन पुत्र लाडू
11. जग्गू पुत्र लाडू
12. सतू पुत्र लाडू समसत जाति रावत निवासी ग्राम चैनुपरा, नसीराबाद
13. उप पंजीयक, नसीराबाद
14. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
15. मैनेजर, बैक आफॅ बडौदा शाखा राजगढ, नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1, 3, 9 से 12 जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत
13 व 14 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 25/3/25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा में स्थित आराजी मुतनाजा वादी की कयशुदा है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला खन.	वंर्किंग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
1032	1338	3—5—0	770/3478	0.18
			770	0.35
1024	1323	0—2—10	772/3084	0.02
1027	1330	1—18—0	772	0.31

उक्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 1032 [illegible] खसरा नम्बर 1338 रकबा 3—5—0, 1024 के वंर्किंग खसरा नम्बर 1323 रकबा 0—2—10 [illegible] चौसाला खसरा नम्बर 1027 के वंर्किंग खसरा नम्बर 1330 रकबा 1—18—0 के [illegible] खातेदार पीथा पुत्र काना रावत थे। पीथा की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस तीन लडके रतना, भोमा व हरजी हुये [illegible] से भोमा

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:02:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है। रतना की भी मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हैं तथा हरजी वादी है। उक्त आाजी में से रतना का हिस्सा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.06.1975 को विक्रेता रतना का सम्पूर्ण हिस्सा पुराने खसरा नम्बर 1024 व 1027 में क्रय किया। उपरोक्त आराजी में वादी स्वयं का हिस्सा व भोना पुत्र पीथा नाऔलाद मृत्यु होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पति/पिता का हिस्सा क्रय करने के कारण सम्पूर्ण हिस्से का मालिक स्वामी वादी ही है। उक्त आाजी के वंर्किग खसरा नम्बर व हाल खसरा नम्बर वादी के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्य 1 से 12 के पिता/पूर्वज के नाम गलत अंकित कर दी। बंदोबस्त विभाग द्वारा किये गये उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा आराजी मुतनाजा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 से 12 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार नसीराबाद की त्रुटि के कारण कम्प्यूटर जमाबंदी में खसरा नम्बर 770/3418 रकबा 0.18 के स्थान पर 770/3478 रकबा 0.18 अंकित हो गया। जवाबकर्ता के पति/पिता द्वारा दिनांक 14.5.76 को पीथा पुत्र काना से उक्त आराजी क्रय की थी। उक्त आराजी पर जवाबकर्ता काबिज काश्त है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी जवाबकर्ता के नाम दर्ज है। अतः वाद का वाद सव्यय खारिज किया ज़ावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा व कुआ का उपयोग उपभोग प्रतिवादी करते आ रहे है। उक्त आराजी वादी की क्रयशुदा होने की कोइ जानकारी प्रतिवादी को नही है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कयम की गयी :-

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने के कारण वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ?

-- वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये। तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

<u>तनकी संख्या 1 :-</u>

चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 में चौसाला खसरा नम्बर 1032 रकबा 3-5-0 पीथा पुत्र क[illegible]है। वंर्किग जमाबंदी में चौसाला खसरा नम्बर 1032 का वंर्किग खसरा नम्ब[illegible] रकबा 2-3-0 पीथा पुत्र काना के नाम दर्ज था, जो जरियें विर[illegible] के नाम दर्ज हुआ। शेष खसरा नम्बर की चौसाला व [illegible] प्रस्तुत नही की गयी है। वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:02:41 IST
Reason: SelfAttested

---3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

भाई रतना पुत्र पीथा ने दो पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 11.6.75 को चौसाला खसरा नम्बर 1032 व 1024 व दिनांक 23.12.75 को चौसाला खसरा नम्बर 1027 (सवा बीघा आराजी) व 1024 (सवा बीघा अनुसार आबपाशी) वादी को विक्रय किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा पर रतना पुत्र पीथा द्वारा अपना हिस्सा वादी को विक्रय कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा व कुआ का उपयोग उपभोग प्रतिवादी करते आ रहे है। उक्त आराजी वादी की कयशुदा होने की कोइ जानकारी प्रतिवादी को नही है। किन्तु उक्त दोनो विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी को सिविल न्यायालय में चुनौती भी नही दी है। पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता हैं। वादी का कथन है कि पीथा पुत्र काना के पुत्र (वादी व रतना के भाई) भोमा पुत्र पीथा नाऔलाद फौत हो गया है किन्तु इसके समर्थन में वादी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया है। वादी द्वारा भोमा का शजरा प्रमाण पत्र भी पेश नही किया है। भोमा के मृत्यु प्रमाण पत्र व शजरे के अभाव में भोमा की विधिक विरासत का निर्धारण नही किया जा सकता है। हाल खसरा नम्बर 772/3084 रकबा 0.02, 770 रकबा 0.35 की आराजी पर रतना के हिस्से पर वादी हरजी खातेदार प्राप्त करने का अधिकारी है। हाल खसर नम्बर 772 रकबा 0.31 छोटू, लाला पि. मादू के नाम दर्ज है। उक्त आाजी के वंकिग खसरा नमबर 1330 व चौसाला खसरा नम्बर 1027 का मिलान व जमाबंदी वादी द्वारा पेश नही की है। अतः खसरा नमबर 772 का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। हाल खसरा नम्बर 770/3478 हाल राजस्व अभिलेख में लाडू सिंह पुत्र लादू सिंह के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के वंकिग खसरा नमबर 1338 का 2–3–0 रकबा ही वादी के पिता के नाम दर्ज था। शेष 1–2–0 रकबे की स्थिति वादी द्वारा स्पष्ट नही की है। वंर्किग खसरा नम्बर 1338/2 रकबा 2–3–0 के हाल खसरा नम्बर 770 रकबा 0.35 वादी हरजी, रतना व भोमा के नाम दर्ज है। अतः हाल खसरा नम्बर 770/3478 का वर्तमन इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी आंशिक रूप से बहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम भावानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 772/3084 रकबा 0.02 व 770 रकबा 0.35 की आराजी पर (रतना पि. पीथा) प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। आराजी मुतनाजा पर भोमा पुत्र पीथा के विधिक वारिसों की जॉच कर भोमा की विरासत की कार्यवाही नियमानुसार की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:02:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हरजी बनाम सायर

दावा बाबत :– 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू रा. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 35/2015
पेश करने की दिनांक – 08.04.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई रमेश रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–
वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम भावानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 772/3084 रकबा 0.02 व 770 रकबा 0.35 की आराजी पर (रतना पि. पीथा) प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। आराजी मुतनाजा पर भोमा पुत्र पीथा के विधिक वारिसों की जॉच कर भोमा की विरासत की कार्यवाही नियमानुसार की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 7 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:02:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद